भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 885

(11.02.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निजीकरण

885. श्री संजय सिंह :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सीईएल में अपने 100 प्रतिशत हिस्से को बेचने के लिए बोलीदाताओं से आवेदन आमंत्रित करके लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) रुचि रखने वाले बोलीदाताओं के लिए पात्रता मानदंड का औचित्य क्या है; और

(ग) कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या हैं ?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी-विज्ञान मंत्री
(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) तथा (ख) सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (सीईएल) में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमादेन दिया है। इसकी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, संभावित बोलीदाताओं से उनकी अभिरुचि आमंत्रित किए जाने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रकाशित की गई है। सक्षम प्राधिकारी के यथा-अनुमोदित ईओआई में, इच्छुक बोलीदाताओं के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पात्रता मानदंड की शर्त रखी गई है :

(i) इच्छुक बोलीदाता 31 मार्च, 2018 की तारीख में 50 करोड़ रुपए का न्यूनतम निवल मूल्य वाला होना चाहिए।

(ii) इच्छुक बोलीदाता ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में से किन्हीं 3 में लाभ (कर उपरांत लाभ) अर्जित किया हो, इनमें से एक वित्तीय वर्ष 31.03.2018 को समाप्त होने वाला नवीनतम वित्तीय वर्ष होगा।

(ग) सरकार द्वारा रणनीतिक खरीदार के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले शेयर खरीद अनुबंध (एसपीए) में कर्मचारियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

*****